न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / एल.आर. / 2005 / 1790 / चित्तौड़गढ़

1. भूरी बाई पत्नी स्व0 दलीचन्द अहीर, निवासी आलोद, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (मृतक) जरिये वारिसान
   1/1 किशनलाल पुत्र स्व0 दलीचन्द
   1/2 नक्षत्रमल पुत्र स्व0 दलीचन्द
   1/3 अर्जुनलाल पुत्र स्व0 गोकल पुत्र स्व0 दलीचन्द
   1/4 मिठूलाल पुत्र स्व0 गोकल पुत्र स्व0 दलीचन्द
   निवासी आलोद तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
   1/5 मु0 खूमाबाई पुत्री स्व0 दलीचन्द पत्नी किशोर जी
   1/6 मु0 बरजूबाई पुत्री स्व0 दलीचन्द पत्नी देवीलाल जी
   1/7 मु0 रकमाबाई पुत्री स्व0 दलीचन्द पत्नी ताराचन्द जी
   ग्राम खेडा अहीर्ण तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

.....अपीलार्थी

बनाम

1. मदनलाल पुत्र रतनलाल ढ़ोली निवासी आलोद तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जी डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

.....रेस्पोडेन्ट्स

एकलपीठ
श्री नत्थूराम सदस्य

उपस्थित

श्री ईश्वर देवडा, अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री के.के.पुरोहित, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं0 1
श्री ओ0पी0भट्ट, उप राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 12–7–19

1. यह द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (जिसे आगे **"प्रथम अपीलीय प्राधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 51/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक

10–02–2005 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (जिसे आगे **''भू राजस्व अधिनियम''** कहा जायेगा) की धारा 76 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी (जिसे आगे **''आवंटन अधिकारी''** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थीया भूरी बाई को ग्राम आलोद की आराजी ख.नं. 1157 में से 3 बीघा भूमि का आवंटन राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 (जिसे आगे **''आवंटन नियम''** कहा जायेगा) के अंतर्गत आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 07.06.2002 के अनुसरण में किया गया। इस आवंटन के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (जिन्हें आगे **''जिला कलक्टर''** कहा जायेगा) के समक्ष आवंटन नियम के नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिला कलक्टर ने उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये अपीलार्थीया को हुआ आवंटन निर्णय दिनांक 20.01.2004 द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया कि विवादित भूमि पर आवंटी के पुत्रों का 10 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है जबकि आवंटी के पुत्रों के पास 29 बीघा भूमि खाते में है व आवंटी का इस पर कब्जा नहीं रहा है। साथ ही आवंटन नियमों की प्राथमिकता के अनुसार भी आवंटन नहीं किया गया है व रास्ते की भूमि का आवंटन किया गया है जिससे रास्ते की चौड़ाई कम होने से आवागमन में असुविधा होगी। अपीलार्थीयॉ आवंटी द्वारा इस निर्णय के विरूद्व प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो निर्णय दिनांक 10.02.2005 द्वारा खारिज की गई जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है। अपील विचाराधीन रहने के दौरान आवंटी भूरी बाई का निधन दिनांक 05.12.2007 को हो जाने के कारण उनके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि आवंटन विधिसम्मत है तथा आवंटन सलाहकार समिति ने एक राय होकर आवंटन की अनुशंषा की है। अपीलार्थीया ने कोई तथ्य छुपाया नहीं है। अपीलार्थीया के पुत्रों के नाम भूमि होने के आधार पर आवंटन निरस्त किया है जो विधिसम्मत नहीं है। शिकायकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 ने नियम 14(4) के अंतर्गत तथ्यों को छुपाने के आधार पर शिकायत की है परन्तु अपीलार्थीया ने कोई तथ्य छुपाया नहीं था व शिकायतकर्ता ने भी शिकायत के तथ्यों को प्रमाणित नहीं किया है। आवंटन अधिकारी ने विधिवत उदघोषणा जारी करने के उपरांत प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार करते हुये आवंटिया के प्रार्थना पत्र पर भूमि आवंटित हुई है। मौके पर कोई रास्ता नहीं है। इन्होंने अपील स्वीकार कर आवंटन बहाल रखने हेतु निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि आवंटनशुदा भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं था व वह भूमिहीन व्यक्ति की श्रेणी में नहीं थी। आंवटनशुदा भूमि के चारो और सरकार रास्ते है जिससे यह भूमि आवंटन होने से रास्तों की चौडाई कम हो गई है। इन्होंने आगे कथन किया आवंटी की पुत्रवधु कमला देवी जिला परिषद की सदस्य है व राजनीतिक दवाब से आवंटन कराया गया है। आवंटन कमेटी के सरपंच आवंटी के रिश्तेदार है। जिला कलक्टर विधिसम्मत रूप से आवंटन निरस्त किया है तथा अपीलीय अधिकारी ने भी अपील खारिज की है। इन्होंने अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया।

6. विद्धान उपराजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में नियमानुसार निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

7. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

8. विचाराधीन प्रकरण में आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलार्थीया भूरी बाई को ग्राम आलोद की आराजी ख.नं. 1157 में से 3 बीघा भूमि का आवंटन राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि

आवंटन) नियम 1970 के अंतर्गत आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 07.06.2002 के अनुसरण में किया गया। इस आवंटन के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के समक्ष आवंटन नियम के नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिला कलक्टर ने उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये अपीलार्थीया को हुआ आवंटन निर्णय दिनांक 20.01.2004 द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया कि विवादित भूमि पर आवंटी के पुत्रों का 10 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है जबकि आवंटी के पुत्रों के पास 29 बीघा भूमि खाते में है व आवंटी का इस पर कब्जा नहीं रहा है। साथ ही आवंटन नियमों की प्राथमिकता के अनुसार भी आवंटन नहीं किया गया है व रास्ते की भूमि का आवंटन किया गया है जिससे रास्ते की चौड़ाई कम होने से आवागमन में असुविधा होगी। अपीलार्थीयॉ आवंटी द्वारा इस निर्णय के विरूद्व प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो निर्णय दिनांक 10.02.2005 द्वारा खारिज की गई जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

9. विचाराधीन प्रकरण में आवंटन पत्रावली के पृष्ठ संख्या 2 से 3 पर आवंटी का प्रार्थना पत्र व रिपोर्ट अवलोकनीय है। इस प्रार्थना पत्र में आवंटिया ने अपने पास कोई भूमि होने का उल्लेख नहीं किया है। पटवारी रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 8 में आवंटिया के पास 10 बीघा 7 बीस्वा भूमि हिस्से में आने का उल्लेख है। आवंटित की जाने वाली भूमि पटवारी रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 13 में अतिक्रमि के रूप में लडकों के नाम पर अतिक्रमण बताया है। जिला कलक्टर की पत्रावली में ग्राम आलोद की जमाबंदी सम्वत् 2058–2061 के खाता संख्या 121 में नखतरमल, किशनलाल पिता दलीचंद के नाम खाता संख्या 21 में रकबा 9.11 हैक्टर में 2/3 हिस्सा भूमि अंकित है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर आवंटीया के पुत्रों का कब्जा काश्त था जबकि उसके पुत्रों के नाम पहले से ही भूमि थी व

स्वयं आवटीया के हिस्से में भी भूमि आती थी जिसे आवंटीया ने अपने प्रार्थना पत्र में उजागर नहीं किया है। आवंटन नियमों के नियम 7 में उदघोषणा, नियम 8 में आवेदन पत्र, नियम 9 में प्राप्त आवेदन पत्रों का रजिस्टर संघारित करने, नियम 11 में आवंटन की प्राथमिकताओं एवं नियम 13 में आवंटन सलाहकार समिति का उल्लेख है। आवंटन नियम 7 के अनुसार उद्घोषणा, नियम 9 के अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों के रजिस्टर, प्राथमिकता सूची आदि से संबंधित तथ्य रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध होता हो कि आवंटन नियमानुसार समस्त प्रक्रियाओं की पालना की जाकर किया गया हो । आवंटन नियम 14 (4) में जिला कलक्टर स्वयंमेव या किसी के प्रार्थना पत्र पर तथ्यों को छुपाने या नियम विरूद्व आवंटन को निरस्त करने हेतु अधिकृत है। जिला कलक्टर ने आवंटन इस आधार पर खारिज किया है कि विवादित भूमि पर आवंटी के पुत्रों का 10 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है जबकि आवंटी के पुत्रों के पास 29 बीघा भूमि खाते में है व आवंटी का इस पर कब्जा नहीं रहा है। साथ ही आवंटन नियमों की प्राथमिकता के अनुसार भी आवंटन नहीं किया गया है व रास्ते की भूमि का आवंटन किया गया है जिससे रास्ते की चौड़ाई कम होने से आवागमन में असुविधा होगी। जिला कलक्टर ने उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवंटन निरस्त किया है जो विधिसम्मत है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी प्रस्तुत अपील खारिज की है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है।

10. उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

11. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य